न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 241/13

वादी :-

1. भैरूसिंह पुत्र श्री धोकल सिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-ग्राम-झूझण्डा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मनोहर सिंह पुत्र भैरूसिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह
3. किरणकंवर पुत्री भैरूसिंह
4. कैलाशकंवर पुत्री भैरूसिंह
5. हंसा कंवर पुत्री भैरूसिंह
   जातियान सभी राजपूत,
   निवासीगण ग्राम-झूझण्डा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.10.09.2013

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ एवं श्री एम.एस.पठान, अधिवक्तागण, वादी।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 01/06/2015

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 33 रकबा 17-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 88 रकबा 10-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 59-01 बीघा की आई हुई हैं। जिसका वादी रिकोर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। उक्त खसरान की जमाबन्दी खतौनी सम्वत् 2067-70 की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावे। उक्त भूमि को वाद में आगे विवादित कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। प्रतिवादीगण वादी के जायन्दा पुत्र / पुत्री सन्तान हैं, जो वादी के साथ निवास नही करते है ना ही वादी का भरण पोषण करते हैं। वादी का अपनी आजीविका का एक मात्र साधन कृषि आय हैं, जिससे अपना व अपनी पत्नि का भरण करता आ रहा हैं। वादी अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का उपयोग व उपभोग बतौर खातेदार काश्तकार के करता आ रहा हैं। वादी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि को बैचान, बख्शीश, गिरवी, रहन, ईकरार व मुनतकिल करने का पुरा कानूनी अधिकार हैं। जबकि प्रतिवादीगण अवैध व गैरकानूनी रूप से संख्या में ज्यादा होने का फायदा उठाकर बलपूर्वक वादी की कब्जे काश्त की भूमि में दखलादांजी करने वादी को बेदखल कर कब्जा करने पर अमादा हैं। जबकि प्रतिवादीगण को वादी के हक व कब्जे काश्त खातेदारीकी भूमि में किसी प्रकार की दखलादांजी,बाधा पैदा करने का कोई कानूनी अधिकार नही हैं। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को असीम हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर सम्भव नही हैं। वादी को अपूरणीय क्षति होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी को बार-बार दिवानी व

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

फौजदारी मुकदमें करने पड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए [redacted] स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया है। बिनायदावा दिनांक 23/06/2013 को प्रतिवादीगण ने वादी को विवादित भूमि से बेदखल कर कब्जा करने की धमकि पर बमुकाम-झुझण्डा, तहसील-जैतारण में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं।

वादी का वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनरा वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रति0 संख्या 1 व 2 के बावजूद सम्मन सूचना / तामिली के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई हैं। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास में पेश हुई। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का पेश किया, सा0मि0 किया गया। प्रार्थना पत्र में व्यक्त किया कि राजस्व वाद में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 अपने ससूराल रहती हैं। इसलिए इनके विरूद्ध कोई रिलीफ नहीं चाहता हूँ। पत्रावली का अवलोकन किया गया। चूँकि वादी राजस्व रेकर्ड में खातेदार काश्तकार हैं। लिहाजा वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 33 रकबा 17-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 88 रकबा 10-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 59-01 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सा0मि0 किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.जैतारण (पाली)

निर्णय आज दिनॉक 01/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-सांगावास पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

वादी :-

1. भैरूसिंह पुत्र श्री धोकल सिंह
   जाति-राजपूत,निवासी-ग्राम-झूझण्डा
   तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मनोहर सिंह पुत्र भैरूसिंह
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भैरूसिंह
3. किरणकंवर पुत्री भैरूसिंह
4. कैलाशकंवर पुत्री भैरूसिंह
5. हंसा कंवर पुत्री भैरूसिंह
   जातियान सभी राजपूत,
   निवासीगण ग्राम-झूझण्डा
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0:241/2013

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .....-..... व हाजरी श्री चावण्डदान बारहठ एवं श्री एम.एस.पठान, अधिवक्तागण, वादी मिनजानिब मुद्धई व मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी इस अगर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-झुझण्डा, पटवार हल्का-सांगावास, तहसील-जैतारण में वादी की खातेदारी व कब्जे काश्त की जमीन खसरा नम्बर 33 रकबा 17-03 बीघा किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 88 रकबा 10-01 बीघा किस्म बारानी अव्वल, कुल किता-2 कुल रकबा 59-01 बीघा में वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा के रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

नीज .....-.....मुबलिक.....-.....बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....-.....फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....-.....को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 01/06/2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
(जिला-पाली)

मुद्धई	रूपये	पैसे	मुद्धायलाह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा	01	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	01	00	महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-	-	फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर	02	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा		
बाबत ईजराय हुक्मनामा	-	-	मुत्फरिक		
मिजानः-	06	00	मिजानः-		

नोटः- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner